

पत्रांक:-भ.नि.यो.-4-13/15(पार्ट फाईल)-...659(भ)...

झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
झारखण्ड, पो0-हिनू, राँची।

राँची, दिनांक:-...09-3-22...

विषय :- धुर्वा, राँची स्थित नया झारखण्ड उच्च न्यायालय भवन के अवशेष निर्माण कार्य हेतु Project Management Consultant (PMC) कार्य हेतु कुल राशि 1,36,03,000/- (एक करोड़ छत्तीस लाख तीन हजार रुपये) पर प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

- (2) धुर्वा, राँची स्थित नया झारखण्ड उच्च न्यायालय भवन के अवशेष निर्माण कार्य हेतु Project Management Consultant (PMC) कार्य हेतु कुल लागत राशि 1,36,03,000/- (एक करोड़ छत्तीस लाख तीन हजार रुपये) पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

यह स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, राँची के पत्रांक-128(अनु0) दिनांक-10/02/2022 एवं अभियंता प्रमुख-सह-अध्यक्ष, निविदा समिति, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-3431(भ)अनु0 दिनांक-22.12.2021 द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में दी जा रही है।

- (3) विषयांकित कार्य पर व्यय का वहन व्यय शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन - 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 48 - प्रशिक्षण/निरूपण/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/परामर्शी शुल्क- विस्तृत शीर्ष-01- वेतन एवं भत्ते- 07- प्रशिक्षण भत्ता- विपत्र कोड-03S40590179648000107 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- (4) विषयांकित कार्य का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-2023 में किया जाएगा।
- (5) प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।
- (6) प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- (7) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, राँची होंगे।
- (8) राशि की निकासी राँची कोषागार से की जायेगी।

- (9) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रावधान के अनुसार की जायेगी।
- (10) लोक निर्माण संहिता की कंडिका-126 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय कोषांग) के संकल्प संख्या-948 दिनांक-16.07.1986 तथा संगत नियमों प्रावधानानुरूप तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय एवं लोक निर्माण संहिता के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ज्ञापांक:-भ.नि.यो.-4-13/15(पार्ट फाईल)-659(अ)

राँची, दिनांक:-09-3-22

(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, योजना विभाग/उपायुक्त, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार/ अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, छोटानागपुर अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य प्रमण्डल, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव कोषांग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग एवं बजट प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।